संविधान

(दिसंबर 2022 में संशोधित)

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया

sio

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया

D-300, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi - 110025

Copyright © All rights reserved.

संविधान
स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया
(दिसंबर 2022 में संशोधित)

Pages: 28
Published: March 2023
Published by: Students Islamic Organisation of India
D-300, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar,
New Delhi - 110025
Phone: 011-26949817
Email: prs@sio-india.org
Website: sio-india.org

विषय सूची

प्रस्तावना	5
नाम	9
मुख्यालय	9
क्रियान्वयन की तिथि	10
मिशन/उद्देश्य	10
कार्यप्रणाली	11
सदस्यता	11
चुनाव एवं नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं	12
कार्यकाल	12
प्रधान अभिभावक	13
राष्ट्रीय अध्यक्ष	14
केन्द्रीय सलाहकार परिषद (CAC) `	16
महासचिव (जनरल सेक्रेटरी)	18
प्रदेश अभिभावक (सरपरस्ते हल्का)	19
प्रदेश सलाहकार परिषद (ZAC)	20
प्रदेश अध्यक्ष (सदरे-हल्क़ा)	21
सेक्रेटरी हल्क़ा	23
स्थानीय संगठन	23
स्थानीय अध्यक्ष	23
स्थानीय सलाहकार परिषद	24
बैतुलमाल (कोष)	24
सदस्यता समाप्ति	26
संगठनात्मक नियम	27
संगठन का विघटन	27

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

प्रस्तावना

अल्लाह, जो सृष्टि का रचयिता, स्वामी तथा शासक है और जिसके आदेश शाश्वत हैं और चहुंओर कण-कण में जारी हैं और जिसकी अवज्ञा का किसी में सामर्थ्य नहीं है— उसने अपने अनंत राज्य के उस हिस्से में, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, मनुष्य को बसाया। उसे देखने, सुनने और समझने की शक्तियाँ दीं, भलाई-बुराई में अंतर करने की समझ प्रदान की तथा एक प्रकार की स्वतन्त्रता व अधिकार देकर उसे एक विशिष्ट पद और सम्पूर्ण सृष्टि में उसे एक प्रतिष्ठित स्थान प्रदान किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य परीक्षण और इम्तिहान है कि मानव अपने जीवन में भी अपने सृजनहार का आज्ञाकारी रहे तो इसके परिणामस्वरूप वह चिरस्थायी (हमेशा रहने वाली) नेमतें मिलेंगी। यदि वह इस अल्लाह द्वारा प्रदान किए गए अधिकार व आज़ादी का दुरुपयोग करके उसकी अवज्ञा का रास्ता अपनाएगा तो उसे इसके नतीजे में दंड भुगतना होगा।

सृष्टि के रचयिता ने जहाँ एक ओर मनुष्य को सभी भौतिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए सभी साधन स्रोत प्रदान किए वहीं उसकी कृपाशीलता एवं दयालुता व दानाई का तक़ाज़ा था कि वह मनुष्य के जीवन व्यतीत करने के लिए उसका मार्गदर्शन का भी प्रबंध करे। अतः उसने मानव जाति ही में से ही ऐसे पवित्र लोगों का चयन किया जो उस पर ईमान रखने वाले और उसके आदेशों का पालन करने वाले थे तथा मार्गदर्शन दे कर इस काम पर नियुक्त किया गया कि वे अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखाएँ और उन्हें अल्लाह कि ओर बुलाएँ ताकि वह ग़लत कामों को देखने और करने तथा आख़िरत में अल्लाह की नाराज़गी से बचते हुए दोनों जहानों (लोकों) में सफल हो सकें।

अल्लाह के ये संदेष्टा (पैग़ंबर) विभिन्न क़ौमों और देशों में आते रहे और जो कर्तव्य उनके हवाले किया गया था उसको पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ अंजाम देते रहे। उन सबका एक ही मिशन था कि अल्लाह के मार्गदर्शन और उसके द्वारा प्रदत्त जीवन व्यवस्था पर ख़ुद अमल करें और उस पर चलने के लिए लोगों का आह्वान (दावत) करें। किन्तु होता यह रहा है कि लोगों का एक बड़ा वर्ग तो उनके इस आह्वान को स्वीकार करने को आमादा ही न हुआ और जिन्होंने इसे

स्वीकार करके आज्ञाकारी गिरोह की हैसियत इख्तियार की, धीरे-धीरे वे भी बिगड़ते चले गए यहाँ तक कि कुछ गिरोहों व समुदायों तो अल्लाह के मार्गदर्शन को भूल गए और कुछ ने तो अल्लाह के मार्गदर्शन में हेरफेर व जोड़-घटा कर उसका स्वरूप ही बिगाड़ दिया।

अंत में अल्लाह ने इस काम के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को भेजा जिसके लिए 'नबी' व 'रसूल' आते रहे थे। आप सल्ल. ने आमजन को भी संबोधित किया और उन लोगों को भी जो पिछले नबियों के बिगड़े हुए नामलेवा थे। हज़रत मुहम्मद सल्ल. का मिशन यह था कि इन सारे लोगों को सीधे मार्ग की ओर बुलाएँ और जो इस मार्गदर्शन को स्वीकार करें उन्हें एक लड़ी में पिरो कर एक आज्ञाकारी समुदाय 'मुस्लिम समुदाय' बना दें, जो एक ओर तो अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व तथा सामूहिक जीवन-व्यवस्था को अल्लाह द्वारा दिये गए मार्गदर्शन के आधार पर स्थापित करे तथा दूसरी ओर दुनिया वालों को भी अल्लाह के इसी मार्गदर्शन से लाभान्वित करते हुए सुधार का कर्तव्य भी पूरा करे।

सभ्य एवं शिष्ट स्वभाव रखने वाले जिन लोगों ने हज़रत मुहम्मद सल्ल. की बातें मानीं उनकी आदतें सुधरीं, उनके आचरण सुधरे और चारित्रिक रूप से श्रेष्ठता के स्तर को पहुंचे। हज़रत मुहम्मद सल्ल. के शिक्षण-प्रशिक्षण से वे इतने सदाचारी व नेक, भले और उच्च चरित्र वाले बने कि पूरा संसार इस दावत की रहमत व बरकत के साथ-साथ श्रेष्ठता व उच्चता का अनुभव किए बिना रह न सका। इन्सान गिरोह-दर-गिरोह अल्लाह के 'दीन' में दाख़िल होते चले गए। लोगों के व्यक्तित्व निखरे और विकसित हुए, उन पर आधारित एक सच्चरित्र समाज की नींव पड़ी और आख़िर में आदर्श राज्य का स्थापना हुई, जिसका सारा मामला अल्लाह के मार्गदर्शन और उसकी प्रदान की गई जीवन व्यवस्था के अनुसार पूरा होता था। इंसान को अपनी समस्याओं का हल मिल गया, उसके कष्टों का निवारण हुआ। लोगों को मानसिक शांति एवं हार्दिक संतोष मिला। इस प्रकार इस राज्य से रहती दुनिया टके के लिए मार्गदर्शन का सम्पूर्ण आदर्श सामने आया और ऐसे चिन्ह स्पष्ट रूप से रेखांकित हो गए कि जिनकी रोशनी में आगामी पीढ़ियों की शिक्षा-दीक्षा एवं मार्गदर्शन का प्रबंध किया जा सकता है।

यह अल्लाह के आख़िरी रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) द्वारा लाया गया वही मार्गदर्शन और संपूर्ण जीवन-विधान है, जो आज भी मानव समाज की सभी जटिल समस्याओं को अच्छे तरीक़े से और रंग व नस्ल के भेदभाव के समस्त मनुष्यों (स्त्री-पुरुष दोनों) और सभी वर्गों के लिए न्याय, निष्पक्षता, भलाई, सुधार, निर्माण और विकास के लिए सर्वोत्तम हल प्रदान करता है। आज का मनुष्य जिस बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है तथा जिन समस्याओं और कठिनाइयों का सामना हमारा देश कर रहा है, उनके लिए अल्लाह द्वारा दी गई इस्लाम की यह जीवन व्यवस्था सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समाधान है।

स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस दीन-ए-इस्लाम की दावत व प्रचार-प्रसार तथा स्थापना के महान कर्तव्य की अदायगी में मिल्लत के छात्र एवं नौजवान अपनी यथाशक्ति हिस्सा ले सकें। इस उद्देश्य के तहत यह संगठन विशेष रूप प्रयासरत है कि एक अच्छे समाज की स्थापना, देश के निर्माण एवं उन्नति में सहायक बनने के लिए छात्रों की योग्यताएं विकसित हों, उनकी चेतना जागृत हो, उच्च उद्देश्यों के लिए त्याग एवं क़ुरबानी की भावना उभरे तथा उनकी ऊर्जा देश से बुराइयों को मिटाने एवं भलाइयों के प्रसार में लगे तथा इन प्रयासों का ध्येय केवल यह हो कि हमारा मालिक एवं पालनहार हम से राज़ी हो जाए और आख़िरत में हमें उसकी रज़ा एवं ख़ुशी प्राप्त हो।

संविधान

(दिसंबर 2022 में संशोधित)

नाम

धारा-1

इस संगठन का नाम 'स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ इंडिया' होगा और संविधान का नाम 'संविधान, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इंडिया' होगा।

मुख्यालय

धारा-2

संगठन का मुख्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु केंद्रीय सलाहकार परिषद को मुख्यालय के स्थान परिवर्तन का अधिकार प्राप्त होगा।

क्रियान्वयन की तिथि

धारा-3

यह संविधान 'मुहर्रम 1403 हिजरी की पहली तिथि' अर्थात 19 अक्तूबर 1982 से लागू होगा।

उद्देश्य

धारा-4

अ. मिशन

संगठन का मिशन ईश्वरीय मार्गदर्शन (इलाही हिदायत) के अनुसार समाज के नवनिर्माण के लिए छात्रों एवं युवाओं को तैयार करना होगा।

ब. उद्देश्य

1. छात्रों एवं युवाओं को इस्लाम की दावत देना।
2. छात्रों एवं युवाओं में इल्म-ए-दीन (इस्लामी ज्ञान) का प्रसार और दीन (इस्लाम) की चेतना जागृत करना।
3. छात्रों एवं युवाओं को प्रेरित करना कि वो अपना निजी एवं सामूहिक जीवन क़ुरआन और सुन्नत के मुताबिक़ ढालें।
4. छात्रों एवं युवाओं को भलाई (मारुफ़) को बढ़ावा देने तथा बुराई (मुनकर) की समाप्ति के लिए प्रेरित करना।
5. शिक्षा व्यवस्था में नैतिक मूल्यों और शिक्षण संस्थानों में उत्तम नैतिक व शैक्षिक वातावरण को विकसित करना।
6. संगठन से जुड़े लोगों को बहुमुखी प्रशिक्षण देना, उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना तथा उन्हें तहरीक-ए-इस्लामी (इस्लामी आंदोलन) के लिए लाभकारी बनाना।

कार्यप्रणाली

धारा-5

1. संगठन के मूल मार्गदर्शक व आधार क़ुरआन व सुन्नत होंगे।
2. संगठन अपने सभी कार्यों में नैतिक सीमाओं का पालन करेगा।
3. संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और सकारात्मक मार्ग, शिक्षा, उपदेश तथा प्रचार-प्रसार के लिए प्रसिद्ध एवं प्रचलित माध्यम अपनाएगा एवं उन तमाम कामों से बचेगा जो सच्चाई व ईमानदारी के विरुद्ध हों अथवा जिनसे सांप्रदायिक वैमनस्य, वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक बिगाड़ पैदा हो सकता हो।

सदस्यता

धारा-6

प्रत्येक छात्र एवं युवा, जो इंडियन यूनियन का नागरिक हो, इस संगठन का सदस्य बन सकता है, बशर्ते यह कि वह:

1. संगठन के संविधान को समझ लेने के बाद प्रण ले कि वह इस संविधान और इसके अंतर्गत सांगठनिक अनुशासन का पालन करेगा।

2. नमाज़-रोज़े का पाबंद, इस्लाम की दूसरी अनिवार्यताओं (फ़राइज़) को भी उनकी शरई पाबंदियों के साथ अदा करने के लिए प्रयासरत तथा बड़े गुनाहों से बचता हो।

3. भारत का निवासी हो।

4. उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक न हो।

नोट

1. इन शर्तों की पूर्णता की स्थिति में ही कोई छात्र/युवा उस वक़्त ही संगठन का सदस्य बन पाएगा जबकि उसकी सदस्यता के आवेदन पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति मिल गई हो।

2. अगर यदि कोई सदस्य वर्ष के बीच में ही अपनी उम्र 30 वर्ष पूर्ण कर रहा हो तब भी वह वर्ष के अंत तक संगठन का सदस्य बना रहेगा।

चुनाव एवं नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं

धारा-7

अ. **संगठन के पदाधिकारियों के लिए:**

1. वह संगठन का सदस्य हो लेकिन किसी पद का अभिलाषी न हो।
2. इस्लामी ज्ञान, ईशभय (तक़वा), सूझबूझ, विचारशीलता एवं निर्णयशक्ति, संविधान की पाबंदी, अल्लाह के बताए मार्ग में दृढ़ता व संघर्ष तथा सांगठनिक दक्षता के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा नियुक्ति में सामूहिक तौर से बेहतर हो।

ब. **सलाहकार परिषद के सदस्यों के लिए और चुनाव के उद्देश्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए:**

1. वह संगठन का सदस्य हो लेकिन सलाहकार परिषद की सदस्यता या संगठन के किसी अन्य पद का अभिलाषी न हो।
2. इस्लामी ज्ञान, ईशभय (तक़वा), सूझबूझ, विचारशीलता एवं निर्णयशक्ति, संविधान की पाबंदी, अल्लाह के बताए मार्ग में दृढ़ता की दृष्टि से अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा नियुक्ति में सामूहिक तौर से बेहतर हो।

कार्यकाल

धारा-8

1. संगठन का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। केंद्र एवं प्रदेशों (ज़ोन) के पदाधिकारियों के लिए चुनाव अथवा नियुक्ति दो वर्ष के लिए तथा स्थानीय पदाधिकारियों के लिए एक वर्ष के लिए होगा।
2. यदि कार्यकाल के मध्य में किसी रिक्त स्थान को भरने के लिए चुनाव या नियुक्ति करना पड़े तो यह चयन या नियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए होगा।
3. केंद्र अथवा प्रदेश स्तर पर, संवैधानिक पदों पर आसीन सदस्यों की उम्र यदि मध्यावधि में तीस वर्ष से अधिक हो रही हो तो अपने पदों पर बने रहने में उनकी उम्र बाधा नहीं होगी।

प्रधान अभिभावक

धारा-9

इस संगठन का एक प्रधान अभिभावक होगा और वह अमीर, जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द होगा।

धारा-10

प्रधान अभिभावक के कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. इस बात पर नज़र रखना कि संगठन अपने उद्देश्य के अनुसार सही दिशा में कार्यों को अंजाम दे रहा है या नहीं। इस संबंध में उसे आवश्यकतानुसार क़दम उठाने का अधिकार होगा।
2. संगठन के संविधान के अनुसार केंद्रीय सलाहकार समिति (CAC) तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना।
3. राष्ट्रीय अध्यक्ष (सदर-ए-तंज़ीम) तथा महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) का त्यागपत्र स्वीकार करना।
4. संगठन के हित में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव को निलंबित करना।
5. सांगठनिक हितों की मांग के मद्देनज़र केंद्रीय सलाहकार परिषद (CAC) के मशविरे और महासचिव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मशविरे से अपदस्थ करना।
6. संगठन के महत्वपूर्ण या अंतर्राष्ट्रीय मामलों या संविधान की व्याख्या अथवा संशोधन से संबन्धित निर्णय प्रधान अभिभावक की स्वीकृति के पश्चात ही लागू होंगे।

नोट

प्रधान अभिभावक को अधिकार होगा कि अपना कर्तव्य आवश्यकतानुसार अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से अंजाम दे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष

धारा-11

राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्थान संगठन के प्रमुख का होगा तथा संगठन के सदस्य मारुफ़ (सद्कार्य) में उसके आदेशों के पाबंद होंगे।

धारा-12

1. प्रदेशों की सलाहकार परिषद के सदस्य और उन क्षेत्रों के जहाँ सांगठनिक (ज़ोन) इकाई स्थापित नहीं है, सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संगठन के सदस्यों में से करेंगे।
2. यदि किसी कारणवश मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता हो तो प्रादेशिक सलाहकार परिषदों के सदस्यगण तथा विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यगण और केंद्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के संवैधानिक पदाधिकारीगण भी मताधिकार उपयोग कर सकेंगे।
3. कोशिश की जाएगी कि चुनाव सर्वसम्मति से हो, दूसरी स्थिति में बहुमत से होगा।

धारा-13

1. यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो जनरल सेक्रेटरी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लेगा। इस तात्कालिक व्यवस्था की अवधि 3 माह से अधिक न होगी। इस अवधि के अंदर धारा-12 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराना आवश्यक होगा।
2. यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अस्थायी रूप से अपने पद से स्वयं अलग होना अपरिहार्य हो गया हो तो उसे अधिकार होगा कि प्रधान अभिभावक से परामर्श से केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों में से किसी को कार्यकारी के तौर पर नियुक्त कर दे। इस नियुक्ति की अवधि छह माह से अधिक न होगी तथा 3 माह से अधिक होने पर इसके लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद का अनुमोदन आवश्यक होगा।

धारा-14

राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय तक अपने पद पर बना रहेग जब तक कि धारा-12 अथवा धारा-13 के अनुसार नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार ग्रहण न कर ले।

धारा-15

राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. संगठन के अनुशासन एवं व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखना।

2. संगठन के उद्देश्यों कि प्राप्ति के लिए संघर्ष करना।

3. संगठन के नीति-निर्माण तथा संशोधन और वो मामले जो परस्पर विरोधी हों, उनके फ़ैसले केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से कराना।

4. किसी महत्वपूर्ण मामले में यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय सलाहकार परिषद से मशविरा करने की स्थिति में न हो तो यथासमय केंद्रीय सलाहकार परिषद या संगठन के उन सदस्यों के मशविरे से जिनसे उस समय मशविरा संभव हो, त्वरित कार्रवाई करना और प्रधान अभिभावक को इसकी सूचना अतिशीघ्र देना तथा केंद्रीय सलाहकार परिषद के अगले सत्र में इस निर्णय और कार्रवाई की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए पेश करना।

5. केन्द्रीय सलाहकार परिषद का सत्र बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।

6. प्रांतीय व प्रादेशिक सलाहकार परिषदों (ZAC) तथा प्रदेशों के अध्यक्षों के चुनाव कराना।

7. केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सत्र (CAC) के किसी सत्र में किसी ग़ैर-सदस्य को भाग लेने की निमंत्रण देना, लेकिन उसे मत देने का अधिकार न होगा।

8. धारा-6 के अनुसार सदस्यता के आवेदन स्वीकार करना और किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना।

9. संगठन के किसी सदस्य को निलंबित करना या निष्कासित करना (धारा-50)।

10. केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय इकाई/ सांगठनिक इकाई स्थापित करना।

11. केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति करना।

12. प्रादेशिक सलाहकार परिषद के निर्णयों के आलोक में कामों की समीक्षा करना।

13. केन्द्रीय व प्रादेशिक सलाहकार परिषदों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के इस्तीफ़े स्वीकार करना और इसकी सूचना क्रमशः प्रधान अभिभावक और प्रदेश अभिभावक को अतिशीघ्र देना।

14. किसी प्रदेश अध्यक्ष को निलंबित करना और उसे प्रादेशिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के मशविरे से बर्खास्त करना।

15. किसी सेक्रेटरी को निलंबित करना और उसे प्रदेश अध्यक्ष के मशविरे से पदच्युत करना।

16. संगठन के हितों का तक़ाज़ा हो तो:

   a. किसी स्थानीय इकाई को निलंबित करना।

   b. प्रदेश अध्यक्ष के मशविरे से उसे भंग करना।

17. संगठन के हित में केन्द्रीय सलाहकार परिषद की निर्धारित पाबंदियों के तहत संगठन की सम्पत्तियों का उपयोग करना और संगठन की ओर से चल-अचल सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय अथवा परिवर्तन या हस्तांतरण करना।

18. प्रधान अभिभावक के निर्देशों (धारा-10) की पाबंदी करना।

धारा-16

धारा-15 में वर्णित अधिकार स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह ही अस्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी प्राप्त होंगे तथापि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को केवल वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष ने उसे निर्दिष्ट किए हों।

केन्द्रीय सलाहकार परिषद (CAC)

धारा-17

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग और मशविरे के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार परिषद होगी जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन महत्वपूर्ण विषयों में मशविरा करेगा जिनका संगठन की नीतियों या उसके अनुशासन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता हो या जो विवादास्पद हो सकते हों।

2. केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की 15 होगी। प्रत्येक अगले कार्यकाल के आरंभ से पहले तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से सदस्यों की संख्या निर्धारित करेगा।

अ. संरचना

धारा-18

1. केन्द्रीय सलाहकार परिषद का चुनाव प्रादेशिक सलाहकार परिषदों (ZAC) के सदस्यगण और उन क्षेत्रों के जहां सांगठनिक इकाइयां स्थापित नहीं हैं, सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि, संगठन के सदस्यों में से करेंगे। जनरल सेक्रेटरी, केन्द्रीय सलाहकार परिषद का पदेन सदस्य होगा।
2. यदि केन्द्रीय सलाहकार परिषद का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो शेष अवधि के लिए उसका चुनाव केंद्र तथा प्रदेशों (Zones) के संवैधानिक पदाधिकारीगण एवं केन्द्रीय व प्रादेशिक सलाहकार परिषदों के सदस्य और ऐसे क्षेत्रों के जहाँ सांगठनिक इकाई स्थापित नहीं है, सदस्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि संगठन के सदस्यों में से करेंगे।

ब. सत्र

धारा-19

1. केन्द्रीय सलाहकार परिषद का सत्र सामान्यतः वर्ष में एक बार हुआ करेगा और दो सत्रों के बीच 14 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी भी समय हंगामी सत्र बुलाने का अधिकार प्राप्त है।
3. केन्द्रीय सलाहकार परिषद के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष से सत्र बुलाने की लिखित मांग करे तो परिषद का हंगामी सत्र बुलाना अनिवार्य होगा।

स. कोरम

धारा-20

सत्र के लिए कोरम, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा। यदि कोरम पूरा न होने के कारण ये सत्र स्थगित करना पड़े तो अगले सत्र के लिए कोरम की शर्त नहीं होगी।

द. कार्यवाही

धारा-21

केन्द्रीय सलाहकार परिषद के वार्षिक सत्र में निम्नलिखित विषय विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत होंगे:

1. संगठन की वार्षिक रिपोर्ट।
2. गत वर्ष के बजट के आलोक में केन्द्रीय कोष (बैतुलमाल) के आय-व्यय का सम्पूर्ण ब्योरा ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ।
3. ऑडिटर की नियुक्ति।
4. आगामी वर्ष का बजट।
5. पॉलिसी और प्रोग्राम की रचना या संशोधन।
6. सांगठनिक विषयों से संबंधित प्रस्ताव और मशविरे।

य. परिषद के फैसले

धारा-22

प्रयास किया जाएगा कि केन्द्रीय सलाहकार परिषद के फैसले सर्वसम्मति से हों अन्यथा बहुमत से होंगे। यदि मत विभाजन समान हो जाए तो निर्णय उस मत के अनुसार होगा जिसमें परिषद के अध्यक्ष का मत शामिल हो तथापि संविधान में संशोधन या कमी-बेशी (Deletion and Addition) से संबंधित फैसलों के लिए उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा।

महासचिव (जनरल सेक्रेटरी)

धारा-23

महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से करेगा।

धारा-24

महासचिव के कर्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. केन्द्रीय विभागों की निगरानी।
2. सांगठनिक कार्यों की देखभल एवं अनुशासनिक व्यवस्था ठीक रखना
3. समस्त सांगठनिक प्रदेशों से संपर्क रखना, उनके कार्यों की निगरानी करना और स्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनका मार्गदर्शन करना।
4. उपरोक्त विषयों में महासचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत काम अंजाम देगा और उसके सामने उत्तरदायी होगा।

प्रदेश अभिभावक (सरपरस्ते हल्का)

धारा-25

प्रदेश स्तर पर संगठन का एक अभिभावक होगा, जो अमीरे हल्क़ा/नाज़िमे इलाक़ा होगा जो कि तहत मरकज़, जमाअत ए इस्लामी हिन्द होगा।

धारा-26

प्रदेश अभिभावक के कर्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. इस बात पर नज़र रखना कि संगठन का कार्य अपने उद्देश्यों के अनुसार स्वस्थ तौर पर अंजाम पा रहा है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए उसे अधिकार होगा कि प्रदेश स्तर पर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करे।
2. प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश की सलाहकार परिषद के चुनावों की निगरानी करना।
3. प्रदेश की अनुशासन व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण और मतभेदों पर आधारित विषयों से संबंधित फैसले प्रदेश अभिभावक की स्वीकृति के बाद क्रियान्वित होंगे।

नोट

प्रदेश अभिभावक को ये अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार अपने दायित्व को अपने किसी नियुक्त प्रतिनिधि के माध्यम से अंजाम दे।

प्रदेश सलाहकार परिषद (ZAC)

धारा-27

1. प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के सहयोग और परामर्श के लिए सलाहकार परिषद होगी जिससे प्रदेश अध्यक्ष महत्वपूर्ण विषयों पर मशविरे करेगा।
2. प्रदेश की सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या का निर्धारण हर अगले कार्यकाल के आरंभ होने से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के मशविरे से करेगा।

अ. संरंचना

धारा-28

प्रदेश की सलाहकार परिषद का चुनाव प्रदेश के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के सदस्यों में से करेंगे। प्रदेश सचिव (जोनल सेक्रेटरी) सलाहकार परिषद का पदेन सदस्य होगा।

ब. सत्र

धारा-29

1. प्रदेश सलाहकार परिषद का सत्र सामान्यतः वर्ष में दो बार होगा और दो सत्रों के बीच आठ माह से अधिक का अन्तर न होगा।
2. प्रदेश अध्यक्ष को किसी भी समय हंगामी सत्र बुलाने का अधिकार प्राप्त होगा
3. प्रदेश के सलाहकार परिषद के कुल सदस्यों की तिहाई संख्या यदि प्रदेश अध्यक्ष से सत्र बुलाने की लिखित मांग करे तो परिषद का हंगामी सत्र बुलाना अनिवार्य होगा।

धारा-30

सत्र के लिए कोरम परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा परन्तु कोरम पूरा न होने के कारण सत्र स्थगित करना पड़े तो अगले सत्र के लिए कोरम की शर्त नही होगी।

धारा-31

प्रदेश की सलाहकार परिषद के दायित्व निम्नलिखित होंगे:

1. प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।
2. केन्द्रीय सलाहकार परिषद (CAC) की नीतियों और प्रोग्राम की रोशनी में प्रदेश के प्रोग्रामों का निर्धारण।
3. गत वर्ष के बजट के आलोक में प्रदेश के कोष (बैतुलमाल) के आय व्यय की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के साथ, का अवलोकन और विचार।
4. वार्षिक बजट की स्वीकृति।
5. आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों और ऑडिटर की नियुक्ति।
6. अन्य आवश्यक विषयों पर विचार एवं निर्णय लेना।

धारा-32

प्रयास किया जाएगा कि सलाहकार परिषद के फैसले सर्वसम्मति से ही अन्यथा परिषद के उपस्थित सदस्यों की बहुमत से होंगे। लेकिन यदि किसी विषय पर मतों का विभाजन समान हो जाए तो निर्णय उस मत के अनुसार होगा जिसमें परिषद के अध्यक्ष का मत शामिल हो।

प्रदेश अध्यक्ष (सदरे-हल्क़ा)

धारा-33

हर सांगठनिक इकाई (zone) का एक अध्यक्ष होगा जो अपनी इकाई का प्रमुख होगा।

धारा-34

1. प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश की सलाहकार परिषद, प्रदेश के सदस्यों में से करेगी।
2. प्रदेश अध्यक्ष की जगह यदि किसी कारणवश अचानक रिक्त हो जाए तो सेक्रेटरी तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष की जगह संभाल लेगा। इस तात्कालिक व्यवस्था की अवधि तीन माह से अधिक न होगी। इस अवधि के अन्दर धारा-34 (1) के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा लेना आवश्यक होगा।

3. यदि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अस्थायी रूप से अपने दायित्व से स्वयं अलग होना आवश्यक हो गया हो तो उसे अधिकार होगा कि वो इस अवधि के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के मशविरे से किसी को कार्यकारी को तौर पर नियुक्त कर दे, इस नियुक्ति की अवधि 6 माह से अधिक ना होगी।

धारा-35

प्रदेश अध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

1. अपने प्रदेश की यूनिट की व्यवस्था एवं अनुशासन को चुस्त दुरुस्त रखना। प्रदेश के सदस्यों का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।

2. प्रदेश की सलाहकार परिषद का सत्र बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना।

3. सलाहकार परिषद के सत्र में किसी ग़ैर सदस्य को आमंत्रित करना परंतु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

4. संगठन की सदस्यता और इससे निष्कासन या इससे त्यागपत्र की अनुशंसा करना।

5. अपरिहार्य स्थिति में धारा-50 (2) के अनुसार निलंबित करना और स्वीकृति के लिए इसकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिशीघ्र देना।

6. सलाहकार परिषद के मशविरे से सेक्रेटरी का मनोनयन करना।

7. सेक्रेटरी के इस्तीफ़े की स्वीकृति, उसके निलंबन या निष्कासन की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष से करना।

8. प्रदेश में किसी नई यूनिट का गठन करना।

9. स्थानीय शाखाओं के पदाधिकारियों का चुनाव कराना, उनमें से किसी का त्यागपत्र स्वीकार करना, किसी को निलंबित करना या किसी को सेक्रेटरी के मशविरे से पदच्युत करना।

10. स्थानीय सलाहकार परिषद के किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना।

11. संगठन के हित की मांग हो तो अपरिहार्य स्थिति में यूनिट को:

i. निलंबित करना और स्वीकृति के लिए इसकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिशीघ्र देना।

ii. भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यक्ष से करना।

सेक्रेटरी हल्क़ा

धारा-36

सेक्रेटरी की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष अपने सलाहकार परिषद के मशविरे से करेगा।

धारा-37

सेक्रेटरी के कर्तव्य और अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. प्रदेश के सांगठनिक मामलों की देखभाल और उसके अनुशासन को ठीक रखना।
2. प्रदेश के विभागों की निगरानी करना।
3. स्थानीय यूनिटों के अनुशासन पर नज़र रखना और उनके कामों की निगरानी करना और स्थितियों के अनुसार उनका मार्गदर्शन करना।
4. इन मामलों में सेक्रेटरी, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों का पाबन्द होगा। और उसके सामने उत्तरदायी होगा।

स्थानीय संगठन

धारा-38

जिस स्थान पर संगठन के सदस्यों की संख्या दो या दो से अधिक होगी वहां स्थानीय संगठन की स्थापना होगी। परंतु यदि किसी स्थान विशेष में केवल एक ही सदस्य हो तो उसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष से होगा और उसके निर्देशों के अनुसार काम करेगा।

स्थानीय अध्यक्ष

धारा-39

1. हर स्थानीय यूनिट का एक अध्यक्ष होगा जिसका चुनाव स्थानीय सदस्य करेंगे।
2. जिस यूनिट में केवल दो सदस्य हों, वहां प्रदेश अध्यक्ष अपने विवेक से स्थानीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा।

धारा-40

स्थानीय अध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार निम्नलिखित होंगे:

1. स्थानीय अनुशासन और व्यवस्था को ठीक रखना और स्थानीय सदस्यों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन करना।
2. संगठन के उद्देश्य के लिए स्वयं सक्रिय रहना और दूसरे सदस्यो को भी सक्रिय रखना।
3. अपनी यूनिट का काम स्थानीय सदस्यों के मशविरे से करना।
4. इन सारे विषयों के संबंध में स्थानीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों का पाबन्द होगा और उसके सामने उत्तरदायी होगा।

स्थानीय सलाहकार परिषद

धारा-41

1. जिस स्थानीय यूनिट के सदस्यों की संख्या 25 या उससे अधिक हो यहां प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से स्थानीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है।
2. स्थानीय सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या का स्थानीय अध्यक्ष के मशविरे से प्रदेश अध्यक्ष निर्धारित करेगा।
3. स्थानीय यूनिट के महत्वपूर्ण मामले स्थानीय सलाहकार परिषद के मशविरे से तय किए जाएंगे।

बैतुलमाल (कोष)

धारा-42

स्थानीय स्तर पर स्थानीय बैतुलमाल, प्रदेश स्तर पर प्रदेश का बैतुलमाल और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का केन्द्रीय बैतुलमाल होगा।

धारा-43

सांगठनिक फंड्स और संपत्तियां संविधान की धारा-4 में वर्णित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी और उद्देश्य के लिए ख़र्च नहीं की जाएंगी।

अ. आय के स्रोत

धारा-44

1. संगठन के सदस्यों की मासिक सहयोग राशि और सदक़ात (पुण्य-दान)।
2. हमदर्दों और शुभचिंतकों की सहयोग राशि।
3. प्रकाशन एवं मुद्रण से आय।

ब. केन्द्रीय बैतुलमाल

धारा-45

1. केन्द्रीय बैतुलमाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तहत होगा, जिससे वह निर्धारित बजट के अनुसार संबंधित मदों पर खर्च करेगा।
2. केन्द्रीय बैतुलमाल के आय-व्यय की जांच संगठन के ऑडिटर से कराई जाएगी।

स. प्रदेश (Zone) का बैतुलमाल

धारा-46

1. प्रदेश (ज़ोन) का बैतुलमाल प्रदेश अध्यक्ष के तहत होगा, जिसे वह अपनी सलाहकार परिषद के मशविरे से संबंधित मदों पर खर्च करेगा और आय-व्यय के संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उत्तरदायी होगा।
2. प्रदेश के बैतुलमाल की जाँच, प्रदेश के ऑडिटर से कराई जाएगी।

द. स्थानीय बैतुलमाल

धारा-47

स्थानीय बैतुलमाल, स्थानीय अध्यक्ष के तहत होगा, जिसे वह स्थानीय सदस्यों व स्थानीय सलाहकार परिषद के मशविरे से संबंधित मदों पर खर्च करेगा और आय-व्यय के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष के सामने उत्तरदायी होगा।

सदस्यता समाप्ति

अ. इस्तीफ़ा

धारा-४४

संगठन का कोई सदस्य यदि संगठन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे अपने त्यागपत्र पर पुनर्विचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दो माह का समय दिया जाएगा।

ब. निष्कासन व निलंबन

धारा-४५

संगठन से किसी सदस्य का निष्कासन केवल उसी स्थिति में होगा, जबकि वह:

1. संविधान की धारा 4, 5 और 6 से मौखिक और व्यवहारिक तौर पर मुंह मोड़े।
2. संगठन की निर्धारित नीति के विरूद्ध जान-बूझकर चले।
3. ऐसा रवैया अपनाए जो संगठन के अनुशासन या उसकि इस्लामी। और नैतिक छवि को हानि पहुंचाने वाला हो।

धारा-५०

1. यदि किसी सदस्य के निष्कासन का मामला मद्देनज़र हो तो उसे निष्कासन के कारणों से अवगत कराके अपनी सफ़ाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा जिसकी अधिक से अधिक अवधि दो माह होगी।
2. निष्कासन के संबंध में निर्णय से पहले यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे निलंबित भी कर सकता है और यदि परिस्थितिवश प्रदेश अध्यक्ष ऐसे सदस्य को त्वरित निलंबित करना आवश्यक समझे तो उसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय तक सदस्यता से निलंबित करने का अधिकार होगा।

संगठनात्मक नियम

धारा-51

इस संविधान के मक़सद को पूरा करने के संबंध में जिन अतिरिक्त नियमों की आवश्यकता होगी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष केन्द्रीय सलाहकार परिषद के मशविरे से बनाएगा जो प्रधान अभिभावक की स्वीकृति के बाद लागू होंगे।

संगठन का विघटन

धारा-52

संगठन को भंग करने की स्थिति में सांगठनिक जायदाद और फण्ड्स किसी ऐसे संगठन को ही हस्तांतरित किए जाएंगे जो समान विचारधारा रखता हो। हस्तांतरण का ये निर्णय केन्द्रीय सलाहकार परिषद के किसी वार्षिक अधिवेशन या इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई किसी हंगामी बैठक में उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई बहुमत से होगा जिसे संगठन के प्रधान अभिभावक ने धारा-8 (6) में उल्लेखित अधिकार के तहत स्वीकृत किया हो।